फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : वरदीचन्द उर्फ सुखलाल **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 07/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा सुखलाल पिता देवा डांगी का आधार कार्ड, ग्राम पंचायत गुडली का प्रमाण पत्र, जमाबन्दी खाता सं. 8 प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम वरदीचन्द के बजाय वरदीचन्द उर्फ सुखलाल संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में वरदीचन्द पिता देवा डांगी दर्ज हैं। जिसे दुरूस्त करा सुखलाल उर्फ वरदीचन्द पिता देवा डांगी दुरूस्त किया जाने की प्रार्थना की हैं। राजपेरोकार द्वारा नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में नाम सुखलाल पिता देवा डांगी अंकित हैं एवं प्रार्थी की अन्य भूमि मौजा वांगरोदा की खाता सं. 8 में प्रार्थी का नाम सुखलाल उर्फ वरदीचन्द अंकित हैं जबकि खाता सं. 161 में प्रार्थी का नाम वरदीचन्द पिता देवा डांगी अंकित हैं। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–:<u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 233, 234, 235. 236, 240, 241 किता 6 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का नाम वरदीचन्द पिता देवा डांगी के बजाय सुखलाल उर्फ वरदीचन्द पिता देवा डांगी संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	